झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी.भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक–परि० वि०–02/2020– 458 **राँची, दिनांक–13.05.2021**

प्रेषक,

कमल किशोर सोन, भा०प्र०से०
सचिव,
परिवहन विभाग।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड।
पुलिस अधीक्षक (यातायात), राँची।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड।

विषयः **राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु कोविड–19 के तहत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का पत्रांक–234/CS/Res, दिनांक–12.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–234/CS/Res, दिनांक–12.05.2021 के अनुसार **"स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह"** के तहत दिनांक–16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक–27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है :–

1. राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को **E-Pass, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट** साथ में रखना आवश्यक होगा। E-Pass– **epassjharkhand.nic.in** portal से प्राप्त किया जा सकेगा।
2. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं/उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
3. राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टैम्पो/ई–रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जायेगा। इनके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण–पत्र/रूट पास ही Pass माना जाएगा।
4. राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों/टैक्सी के लिए साथ में E-Pass होना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
5. राज्य के अन्दर निजी वाहनों से एक जिला से दुसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा।
6. राज्य के अंदर निजी वाहनों से जिले के अंदर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा।

13/05/2021

7. भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass से छूट दी गई है। उनके लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
8. राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
9. झारखण्ड राज्य में आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के Quarantine अवधि में निम्न शर्त्तों के साथ रहना होगा :—
   i. झारखण्ड राज्य में आने वाले/वापस आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन **www.jharkhandtravel.nic.in** पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने के पूर्व किया जायेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखण्ड राज्य पहुँचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।
   ii. हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखण्ड आने/वापस आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के लिए Home Quarantine में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में Home Quarantine के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
   iii. जिला प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के Home Quarantine में रहने एवं उनके द्वारा इसके लिए निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
   iv. जिला प्रशासन द्वारा ऐसा पाये जाने पर कि, व्यक्ति को Home Quarantine में रहने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है या उनके द्वारा Home Quarantine के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, वैसे लोगों को संस्थागत Quarantine केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
   v. उपर्युक्त निदेश, हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्त्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/ औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों में आने–जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अन्दर झारखण्ड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा।

10. राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों से आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :—
   i. निजी वाहन/टैक्सी/टैम्पो/ई–रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
   ii. निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।
   iii. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
   iv. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

13/05/2020

v. पैसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थय प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

vi. ये शर्त्तें कोरोना संकट/महामारी से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।

अनुरोध है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु०–प्रासंगिक आदेश की प्रति।

विश्वासभाजन

13/05/2021

(कमल किशोर सोन)
सचिव
परिवहन विभाग।